

पूजन देवी बनाम घोड़ी देवी कथा

केस संख्या 192/2024

Scanned with OKEN Scanner

फैज देवी बनाम कोरी देवी १५०

उपाखण्ड अधिकारी जनकलाल झा, पन्ना

592/2024





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
12/2024

तारीख दाखर
18/10/2024

तारीख फैसला
31/10/2025

प्रेम देवी पत्नि श्री डूंगरसिंह मीना जाति मीना निवासी ग्राम सरजोली, तहसील आंधी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

- छोटी देवी पत्नि श्री सोहनलाल मीना
- मंगली देवी पत्नि श्री रामफूल मीना
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर।
- उप पंजीयक आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री दीपचन्द महावर :- वकील वादी।

दावा बाबत बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आरटी0एक्ट

—: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री दीपचन्द महावर ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि 481/462 रकबा 0.3792 है0 वाकै ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जेकाशत को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 01.05.2025 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
5	छोटी देवी पत्नि सोहनलाल हि0 1/3 जाति मीना सा0देह खातेदार, प्रेम देवी पत्नि डूंगरसी हि0 1/3 जाति मीना सा0देह खातेदार, मंगली देवी पत्नि रामफूल हि0 1/3 जाति मीना सा0देह खातेदार।	481/462	0.3792	बारानी 3	—
	योग	किता 1	0.3792	—	—

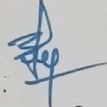


—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
छोटी देवी पत्नि सोहनलाल जाति मीना सा0देह खातेदार	481/462/1	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
प्रेमदेवी पत्नि डूंगरसी जाति मीना सा0देह खातेदार।	481/462/3	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
मंगली पत्नि रामफूल जाति मीना सा0देह खातेदार	481/462/2	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
शामलाती	481/462	0.0282	—	—
योग	किता 1	0.0282	—	—

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही दीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं तिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा स प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबतार्ई

(रुल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रेमदेवी

बनाम

छोटी देवी वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निर्धेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर - 192 / 2024

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु श्री ललित मीना बहाजिरी श्री दीपचन्द महावर अधिवकता दीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि म सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के म्मानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
छोटी देवी पत्नि सोहनलाल हि० 1/3 जाति मीना सा०देह खातेदार, प्रेम देवी पत्नि डूंगरसी हि० 1/3 जाति मीना सा०देह खातेदार, मंगली देवी पत्नि रामफूल हि० 1/3 जाति मीना सा०देह खातेदार।	481/462	0.3792	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.3792	—	—

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
छोटी देवी पत्नि सोहनलाल जाति मीना सा०देह खातेदार	481/462/1	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
प्रेमदेवी पत्नि डूंगरसी जाति मीना सा०देह खातेदार।	481/462/3	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
मंगली पत्नि रामफूल जाति मीना सा०देह खातेदार	481/462/2	0.1170	बारानी 3	—
योग	किता 1	0.1170	—	—
शामलाती	481/462	0.0282	—	—
योग	किता 1	0.0282	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.10.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ



मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
म वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
म वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
तानावकील			महन्तानावकील		
गवाहान			खर्चा गवाहान		
हजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
			मुत0		
न			मिलान		


 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:- 192/2024

दायर दिनांक 18.10.2024

प्रेम देवी

बनाम

छोटी देवी वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश

दिनांक 01.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री दीपचन्द महावर कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सरजोली, पटवार हल्का ~~कल~~ तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 481/462 रकबा 0.3792 है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुर्रजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 01/05/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

सपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

सपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर